

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 39/2021

दायर दिनांक: 16.02.2021

उनवान

1. हंसराज आयु 50 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
2. रामहेत आयु 40 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
3. लालचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
4. छीतरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
5. प्रकाशबाई आयु 38 वर्ष पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
6. गोपीबाई आयु 85 वर्ष पत्नी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
7. कलावतीबाई आयु 40 वर्ष पत्नी बलराम
8. धीरज आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जय्ये वली माता कलावतीबाई
9. नीरज आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जय्ये वली माता कलावतीबाई
10. संजू आयु 10 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जय्ये वली माता कलावतीबाई पत्नी बलराम जातियान मीणा निवासीगण दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०

वादीगण

बनाम

1. हजारीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी
2. जोरावर पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०
3. सुरेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०
4. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू, तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीया :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।



वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं० 611 का खं० नं० 709 का रकबा 1.49 है० एवं खाता सं० 612 की खं० नं० 151 की 0.56 है०, खं० नं० 152 की 0.50 है० खं० नं० 153 की 0.51 है०, खं० नं० 154 की 0.45 है०, खं० नं० 155 की 0.36 है०, खं० नं० 156 की 0.36 है०, खं० नं० 161 की 0.01 है०, खं० नं० 175 की 0.14 है०, खं० नं० 184 की 1.15 है०, खं० नं० 731 की 0.94 है०, खं० नं० 732 की 2.20 है, कुल किता 11 की 7.18 है० आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 17.07.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से एवं कब्जा काश्त का ध्यान रखते हुए तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/537 दिनांक 23.02.2024 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं० 611 का खं० नं० 709 का रकबा 1.49 है० एवं खाता सं० 612 की खं० नं० 151 की 0.56 है०, खं० नं० 152 की 0.50 है० खं० नं० 153 की 0.51 है०, खं० नं० 154 की 0.45 है०, खं० नं० 155 की 0.36 है०, खं० नं० 156 की 0.36 है०, खं० नं० 161 की 0.01 है०, खं० नं० 175 की 0.14 है०, खं० नं० 184 की 1.15 है०, खं० नं० 731 की 0.94 है०, खं० नं० 732 की 2.20 है, कुल किता 11 की 7.18 है० भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1-

1. गोपी बाई पत्नी स्व. कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
2. छीतरलाल पुत्र कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
3. हंसराज पुत्र कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
4. रामहेत पत्र कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
5. लालचन्द पुत्र कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
6. प्रकाश बाई पुत्री कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
612	156	0.36 हे०	चाही 2	11.52	
612	152	0.50 हे०	चाही 2	16.00	
612	184/3	0.54 हे०	बरानी 2	3.78	पूर्व
611	709	1.49 हे०	माल 1	17.88	
किता - 4		2.89 हे०		49.18	

2.

1. कलावती बाई पत्नी स्व. बलराम हि० 41/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
2. नाबा० धीरज पुत्र बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
3. नाबा० नीरज पुत्र बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
4. नाबा० संजू पुत्री बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
612	155	0.36 हे०	चाही 2	11.52	
612	153	0.51 हे०	चाही 2	16.32	
612	184/2	0.31 हे०	बरानी 2	2.1	पूर्व-पश्चिम के मध्य
662	732/2	1.03 हे०	माल 1	12.36	उत्तर-पश्चिम के मध्य
किता - 4		2.21 हे०		42.3	

3.

1. हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
662	731	0.94 हे०	माल 1	11.28	
612	154	0.45 हे०	चाही 2	14.40	
612	151	0.56 हे०	चाही 2	17.92	
612	175	0.14 हे०	बरानी तृतीय	0.56	
612	184/1	0.30 हे०	बरानी 2	2.1	पश्चिम
662	732/1	0.50 हे०	माल 1	6.00	उत्तर
किता - 6		2.89 हे०		52.26	

4.

1. जोरावर सिंह पुत्र छीतरलाल हि० 25/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 25/67 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई

2. सुरेन्द्र पुत्र छीतरलाल हि० 25/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्स 25/67 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई
3. रामपति पत्नी जोरावर सिंह हि० 17/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
662	732/3	0.67 हे०	माल 1	8.04	दक्षिण
किता - 1		0.67 हे०		8.04	

5.

1. धीरज नाबा०, नीरज नाबा० पुत्र, संजु नाबा० पुत्री, कलावती बाई पत्नी स्व० बलराम हिस्सा 1/3, छीतरलाल, रामहेत, लालचन्द, हंसराज पुत्र, प्रकाश बाई पुत्री गोपीबाई पत्नी स्व० कान्हा हिस्सा 1/3, हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा० देह रहन बस्तुर

खाता	खसरा	रकबा	किस्म
612	161	0.01 हे०	गै०मु०चाह
किता - 1		0.01 हे०	

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्ददाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 39/2021

उनवान

1. हंसराज आयु 50 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
2. रामहेत आयु 40 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
3. लालचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
4. छीतरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
5. प्रकाशबाई आयु 38 वर्ष पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
6. गोपीबाई आयु 85 वर्ष पत्नी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
7. कलावतीबाई आयु 40 वर्ष पत्नी बलराम
8. धीरज आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जयें वली माता कलावतीबाई
9. नीरज आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जयें वली माता कलावतीबाई
10. संजू आयु 10 वर्ष नाबालिग पुत्र बलराम जयें वली माता कलावतीबाई पत्नी बलराम जातियान मीणा निवासीगण दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1. हजारीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी
2. जोरावर पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0
3. सुरेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0
4. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 611 का खं0 नं0 709 का रकबा 1.49 है0 एवं खाता सं0 612 की खं0 नं0 151 की 0.56 है0, खं0 नं0 152 की 0.50 है0, खं0 नं0 153 की 0.51 है0, खं0 नं0 154 की 0.45 है0, खं0 नं0 155 की 0.36 है0, खं0 नं0 156 की 0.36 है0, खं0 नं0 161 की 0.01 है0, खं0 नं0 175 की 0.14 है0, खं0 नं0 184 की 1.15 है0, खं0 नं0 731 की 0.94 है0, खं0 नं0 732 की 2.20 है, कुल कित्ता 11 की 7.18 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1-

1. गोपी बाई पत्नी स्व. कान्हा हि0 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
2. छीतरलाल पुत्र कान्हा हि0 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
3. हंसराज पुत्र कान्हा हि0 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
4. रामहेत पत्र कान्हा हि0 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार
5. लालचन्द पुत्र कान्हा हि0 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार

6. प्रकाश बाई पुत्री कान्हा हि० 1/6 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
612	156	0.36 हे०	चाही 2	11.52	
612	152	0.50 हे०	चाही 2	16.00	
612	184/3	0.54 हे०	बरानी 2	3.78	पूर्व
611	709	1.49 हे०	माल 1	17.88	
किता - 4		2.89 हे०		49.18	

2.

1. कलावती बाई पत्नी स्व. बलराम हि० 41/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
2. नाबा० धीरज पुत्र बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
3. नाबा० नीरज पुत्र बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार
4. नाबा० संजू पुत्री बलराम हि० 60/221 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
612	155	0.36 हे०	चाही 2	11.52	
612	153	0.51 हे०	चाही 2	16.32	
612	184/2	0.31 हे०	बरानी 2	2.1	पूर्व-पश्चिम के मध्य
662	732/2	1.03 हे०	माल 1	12.36	उत्तर-पश्चिम के मध्य
किता - 4		2.21 हे०		42.3	

3.

1. हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
662	731	0.94 हे०	माल 1	11.28	
612	154	0.45 हे०	चाही 2	14.40	
612	151	0.56 हे०	चाही 2	17.92	
612	175	0.14 हे०	बरानी तृतीय	0.56	
612	184/1	0.30 हे०	बरानी 2	2.1	पश्चिम
662	732/1	0.50 हे०	माल 1	6.00	उत्तर
किता - 6		2.89 हे०		52.26	

4.

1. जोरावर सिंह पुत्र छीतरलाल हि० 25/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्स 25/67 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई
2. सुरेन्द्र पुत्र छीतरलाल हि० 25/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्स 25/67 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई
3. रामपति पत्नी जोरावर सिंह हि० 17/67 जाति मीणा सा. देह खातेदार

खाता	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
662	732/3	0.67 हे०	माल 1	8.04	दक्षिण
किता - 1		0.67 हे०		8.04	

5.

1. धीरज नाबा०, नीरज नाबा० पुत्र, संजू नाबा० पुत्री, कलावती बाई पत्नी स्व० बलराम हिस्सा 1/3, छीतरलाल, रामहेत, लालचन्द्र, हंसराज पुत्र, प्रकाश बाई पुत्री गोपीबाई पत्नी स्व० कान्हा हिस्सा 1/3, हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा० देह रहन बस्तुर

खाता	खसरा	रकबा	किस्म
612	161	0.01 हे०	गै०मु०चाह
किता - 1		0.01 हे०	

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखो जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)